जिला प्रशासन गौतमबुद्धनगर

द्वारा

जनपद के नागरिकों के लिए दिशा-निर्देश

19 मई 2020 को जारी

लॉकडाउन 4.0

संसूचित क्षेत्र	दिशा – निर्देश
1.लॉकडाउन 4.0 की अवधि	• लॉकडाउन 31.05.2020 तक जारी रहेगा।
2. पूर्णतया निषिद्ध गतिविधियां	• मेट्रो रेल सेवाऐं। • समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान इत्यादि। • समस्त सत्कार सेवाऐं। सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी कर्मियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हो। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट–किचन को खाने / खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। • समस्त सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के समस्त स्थान। यद्यपि खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों के प्रवेश हेतु अनुमति नही होगी। • समस्त सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम / अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। • समस्त धार्मिक स्थल / पूजा स्थल जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
3. सीमित प्रतिबन्धों के साथ अनुमत गतिविधियां	• यात्री वाहनों एवं बसों अर्न्तराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे। • राज्यों द्वारा निर्धारित यात्री वाहन और बसों का राज्य के अन्दर आवगमन अभी अनुमत नही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. कन्टेनमेन्ट जोन	• लॉकडाउन 4.0 में कन्टेनमेन्ट जोन निम्नवत् परिभाषित किया गया है– ❖ शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल केस है वहां 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला जो भी कम हो, एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन होगा। ❖ ग्रामीण क्षेत्र में जहां सिंगल केस है वहां पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा एवं एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा, इस ग्राम के ईर्द–गिर्द

	पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगे। ❖ कन्टेन्मेन्ट जोन का चिन्हीकरण चिकित्सा विभाग के परामर्श के अनुसार इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित किया जायेगा।
5. रात्रि निषेधाज्ञा	• शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्राप्त होगी।
6. संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा	• समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे।
7. औद्योगिक गतिविधियां	• सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल में भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी।
8. दुकाने एवं बाजार	• पूरे जनपद में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाईजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि समस्त आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नही पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी। • ग्रामीण क्षेत्र (प्राधिकरण अधिसूचित ग्रामों को छोड़कर) एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। • शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नही लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। • दिनांक 20.05.2020 को व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ अपर आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा बैठक करते हुए स्थानीय बाजारों को व्यापारिक संगठनों के साथ सहयोग प्राप्त करते हुए स्वनियन्त्रण (**Self Regulation**) के आधार पर खोले जाने का निर्णय लिया जायेगा जिसमें मार्गदर्शक सिद्धान्त यह होगा कि बाजारों को खोलने की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि एक मार्किट में एक–दूसरे से सटी दुकानें एक दिन के अन्तराल पर खुलें एवं सोशल डिस्टेंसिग तथा अन्य समस्त प्रकार के

	निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये जिसमें बाजार की कुल क्षमता की लगभग 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन तथा शेष लगभग 50 प्रतिशत दुकानें अगले दिन खुलेंगी। • सांय काल को दुकानें इस तरह से बन्द की जायेगी कि सभी दुकानदार अपने–अपने घर सांय 7 बजे से पूर्व पहुंच जायें। • कोई भी दुकान सांय 7 बजे के पश्चात नही खुलेगी। आवश्यक वस्तु (दवा की दुकान आदि) एवं सेवाओं, आपातकालीन वस्तु एवं सेवाओं से सम्बन्धित इकाईयों में यह प्रतिबन्ध लागू नही होंगे।
9. रेस्टोरेन्ट एवं मिठाई शॉप	• रेस्टोरेन्ट में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी, दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नही होगी। • मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाये।
10. बारातघर	• इन्हें खोलने की अनुमति होगी लेकिन शादी के लिए से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति देने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0/अ0) नोडल अधिकारी होंगे जिन्हें ई–मेल के माध्यम से आवेदन करने के पश्चात आवश्यक शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जायेगी। इसमें 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नही होगी।
11. स्ट्रीट वेण्डर/ पटरी व्यवसायी	• इन्हें अपना व्यवसाय करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें अपना फेस मास्क एवं ग्लबस इस्तेमाल करना होगा तथा सोशल डिस्टंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। स्थानीय प्राधिकरण/निकायों द्वारा इनके लिए समुचित स्थान/वेंडिंग जोन चिन्हित किया जायेगा जिसमें उनको अपने व्यवसाय करने हेतु अनुमति होगी।
12. नर्सिंग होम एवं प्राईवेट हॉस्पिटल	• इसके लिए पृथक से मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गाईडलाइन्स जारी की जायेंगी।
13. चार पहिया वाहन	• इसमें ड्राईवर के अतिरिक्त 02 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे है तो 02 बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जायेगी।
14. दो पहिया वाहन	• बाईक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी। यदि पीछे महिला बैठी है तो उसको भी अनुमति दी जायेगी लेकिन बाईक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
15. तीन पहिया वाहन	• ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी जिसमें समस्त यात्रियों का फेस मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

16. नोएडा में दिल्ली से आवागमन	• शासन से इस बिन्दु पर दिशा–निर्देश मांगे गये है। तब तक दिल्ली नोएडा सीमा पर यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये है।
17. प्रिटिन्ग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स	• इन्हें खोलने की अनुमति होगी।
18. राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर के चिकित्या व्यवसायी, नर्स एवं पैरा मैडिकल स्टाफ, सफाई कार्मिक एवं एम्बुलेंस	• इन्हें बिना किसी प्रतिबन्ध आवागमन की अनुमति होगी।
19. अन्तर्राज्यीय परिवहन	• समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन की अनुमति होगी।
20. पार्क	• पार्क सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक खुलेंगे। पार्क में टहलते समय फेस मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन किया जायेगा। पार्कों में लगी बेंचों को अनिवार्यतः अनुरक्षण प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर सैनिटाईज किया जायेगा।
21. कोविड–19 प्रोटोकॉल– सार्वजनिक स्थल	• सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। • सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाईडलाईन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। • कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नही होने देगा। • शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा) • अन्तिम–संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। • सार्वजनिको स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम–से–कम एक दूसरे से 06 फिट (2 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होनो की अनुमति नही होगी।

22. कोविड–19 प्रोटोकॉल– कार्य स्थल	• कार्य स्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। • कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाईडलाईन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराऐंगे। • कार्य स्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं। • प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वॉश/सेनिटाईजर की व्यवस्था (टच फ्री सुविधा के साथ) की जाए। • सम्पूर्ण कार्य–स्थल क्षेत्र में एवं जन–प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाईजेशन किया जाये। • कार्य स्थलों पर नजदीकी क्षेत्र में कोविड–19 के लिए अधिकृत हॉस्पिटल आदि की सूची उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि यदि किसी कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाये जाए तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सके। • समुचित साफ–सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।
23. अनुमन्यता/ अनुमति	• ऐसी समस्त गतिविधियां जो इस लॉकडाउन के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित/नियन्त्रित नही है वह समस्त गतिविधियॉ अनुमन्य होंगी तथा उन गतिविधियों के लिए पृथक से किसी पास या अनुमति की आवश्यकता नही होंगी।
24. कोविड–19 लक्षण वाले नागरिकों हेतु स्वास्थ्य सम्बन्धी दिशा–निर्देश	• उनके स्वास्थ्य की स्थिति से निवासियों के द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। • यदि कोई भी कोविड–19 लक्षण जैसे– बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस की तकलीफ आदि का पता चलता है, तो तुरंत निगरानी अधिकारी/गौतमबुद्धनगर एकीकृत नियंत्रण कक्ष संख्या– 1800–419–2211 पर सूचित करना होगा।
25. कोविड 19 से सम्बन्धित आधिकारिक सूचना प्राप्त करने पोर्टल	https://gbnagar.nic.in/noval-corona-virus-covid-19/

<u>गौतमबुद्धनगर / ग्रेटर नोएडा / नोएडा के नागरिकों से अपील</u>

- जनपद वासियों से आग्रह है कि घर से निकलते समय फेस कवर/मास्क का अवश्य प्रयोग करें, हैण्ड हाईजीन का ध्यान रखें, फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
- जिला प्रशासन हमेंशा आपकी सेवा हेतु कटिबद्ध है।
- स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें।

किसी भी सहायता के लिए
कृपया हमारे एकीकृत नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।

1800-419-2211

@dmgbnagar, @CeoNoida, @OfficialGNIDA, @YamunaAuthority

@CP_Noida, @noidapolice, @DeptGbn

जिला प्रशासन गौतमबुद्धनगर
द्वारा जनहित में जारी